UPSI180006132026

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-153/ 2026

टोर्री उर्फ मुबारक अली आदि बनाम सरकार

दिनांकः-02.04.2026

प्रार्थी/ अभियुक्तगण टोर्री उर्फ मुबारक अली एवं इबादुर्रहमान उर्फ रोज अली के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-58/ 2025, अन्तर्गत धारा-115(2),126(2), 351(3),352 भारतीय न्याय संहिता, थाना थानगाँव, जिला सीतापुर में जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी न्यायालय उपस्थित नहीं हैं न ही उनके द्वारा कोई आख्या अंकित की गयी है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया व समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामले में संबंधित थाने द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा चुका है। अपराध अजमानतीय है एवं गंभीरतम प्रकृति का नहीं है एवं प्रश्नगत अपराध सात साल से कम की सजा से दंडनीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं प्रकरण के अपराध को दृष्टिगत रखते हुए जमानत हेतु आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/ अभियुक्तगण **टोर्री उर्फ मुबारक अली एवं इबादुर्रहमान उर्फ रोज अली** प्रत्येक को मुकदमा अपराध संख्या-58/ 2025, अन्तर्गत धारा-115(2),126(2), 351(3),352 भारतीय न्याय संहिता, थाना थानगाँव, जिला-सीतापुर में **बीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू-पत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(रोहित पुरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.04.02 17:41:29 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge(J.D)/J.M. Mahmoodabad, Sitapur.